सिरसी रोड पर मंदिर माफी की जमीन पर काटी 'श्रीनाथ एनक्लेव' कॉलोनी?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजधानी जयपुर में सिरसी रोड पर "मंदिर माफी" की करीब 17 हजार वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। जयपुर के अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितिय) ने अप्रैल-2022 में मंदिर श्री रघुनाथजी की भूमि को निजी खातेदारों के नाम पर दर्ज करना और उसके बाद खरीद-बेचान अवैध माना था, साथ ही यह प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को भेजने की सिफारिश भी की थी। इसके बावजूद तहसीलदार ने जून माह में ही जेडीए जोन-12 के उपायुक्त को यह भूमि मंदिर माफी से मुक्त बताई, जिसके बाद आनन-फानन में इस भूमि पर "श्रीनाथ एनक्लेव" के नाम से आवासीय कॉलोनी काट दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर भूमि की असलियत दबाने के लिए जमीन खरीददार और विक्रेताओं ने एडीएम के आदेश के करीब 7 माह बाद उपखंड अधिकारी के समक्ष नवंबर-2022 में आपसी राजीनामे के आधार पर सुलह तक कर ली, जबकि जमीन मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम पर दर्ज होनी थी। इसके बाद आनन-फानन में जेडीए के अधिकारियों ने इस 17 हजार वर्गमीटर भूमि पर बसाई गई आवासीय कॉलोनी का नियमन करने की तैयारी की और दिसंबर-2022 में कॉलोनी का नियमन कैंप तक लगा दिया।

सूत्रों की मानें तो ग्राम सिरसी में खसरा नंबर 528 की 3 बीघा 17 बिस्वा जमीन तथा खसरा नंबर 535 की 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन के प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर ने 4 अप्रैल 2022 को फैसला सुनाया। इस आदेश में उन्होंने दोनों खसरों की जमीन मंदिर माफी श्री रघुनाथजी की मानते हुए इस भूमि को निजी खातेदारों के नाम पर दर्ज करना अवैध माना। आदेश में कहा गया कि, यह भूमि मियाद पट्टा में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल, वल्द गंगाबक्स के नाम पर दर्ज है। इसी का निरंतरता में राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया जाना था, लेकिन मंदिर की यह भूमि निजी खातेदारों के नाम पर दर्ज की गई है। इस भूमि का नामांतरण खरीददार गणपतलाल के नाम पर खोला गया है, जो कि गलत है। जब भूमि मंदिर की है, तो इसका खरीद-बेचान और नामांतरण भी अवैध है, ऐसे में यह नामांतरण रद्द किया जाना न्याय संगत है। अतिरिक्त कलेक्टर ने भूमि यह प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को भेजने की सिफारिश भी की।

इसके बाद 10 जून को नरेशचंद पूनिया ने इन दोनों खसरों की करीब 1.70 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी का कागज जेडीए में पेश किया और जमीन का उपयोग आवासीय करने की मांग की। इसके बाद जब जेडीए जोन-12 के उपायुक्त ने 23 जून को तहसीलदार को पत्र लिखकर दोनों खसरों के संबंध में रिपोर्ट और एडीएम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी मांगी तो तहसीलदार ने इसे मंदिर माफी से मुक्त होने की रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि इसी प्रकरण में 17 नंवबर 2022 को मंदिर श्री रघुनाथजी और नरेशचंद के बीच आपसी राजीनाम उपखंड अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब एडीएम कोर्ट ने जमीन को मंदिर भूमि मानते हुए खरीद-बेचान और नामांतरण ही गलत माना तो फिर मंदिर श्रीरघुनाथजी और भूमि खरीददार के बीच राजीनामा किस प्रकार हुआ।

- **जयपुर के अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय) ने अप्रैल-2022 में मंदिर श्री रघुनाथजी की भूमि को निजी खातेदारों के नाम पर दर्ज करना और उसके बाद खरीद-बेचान अवैध माना, साथ ही यह प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को भेजने की सिफारिश भी की थी**
- **इसके बावजूद जमीन खरीददार और विक्रेताओं ने करीब 7 माह बाद उपखंड अधिकारी के समक्ष नवंबर-2022 में आपसी राजीनामे के आधार पर सुलह कर ली, जबकि जमीन मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम पर दर्ज होनी थी**
- **मजेदार बात यह है कि एडीएम के अप्रैल माह के बाद आदेश के बावजूद तहसीलदार ने जून माह में ही जेडीए जोन-12 के उपायुक्त को यह भूमि मंदिर माफी से मुक्त बताई, जिसके बाद आनन-फानन में इस भूमि पर आवासीय कॉलोनी काट दी गई**
- **हैरानी का विषय यह है कि जेडीए प्रशासन ने पूरा प्रकरण देखे बिना, आपसी राजीनामे के आधार पर इस कॉलोनी का दिसंबर-2022 में नियमन कैंप भी लगा दिया**

> **जेडीए के अधिकारी मंदिरों की भूमि पर अवैध कब्जा करवाकर कॉलोनियां कटवा रहे हैं, यह आमजन की खून-पसीने की कमाई पर डाका डालने का काम है। कांग्रेस राज में जेडीए ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यह बात खुद भी अशोक गहलोत भी मानते हैं। मंदिरों की भूमि इस तरह से मिलीभगत कर खुर्द-बुर्द करना निदंनीय है और भूमाफियाओं के हौसले बढ़ाने वाला है। अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के बावजूद इस तरह की धांधली और अवैध कॉलोनी का नियमन गलत हैं। ऐसा लगता है कि जेडीए के अधिकारी, भूमाफियाओं के हाथों की कठपुतली बने हुए है। जल्द ही इस प्रकरण को लेकर साधू-संतों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे।**
>
> सुखप्रीत बंसल, चेयरमैन
> ग्रेटर नगर निगम जयपुर

नवरात्रा पर जेल में 750 से ज्यादा बंदियों ने रखा व्रत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जयपुर सेन्ट्रल जेल में नवरात्रि के पावन पर्व पर 750 से ज्यादा बंदियों ने व्रत रखा। बंदियों ने सुबह उठकर मां भगवती की पूचा अर्चना की और उन्हें भोग लगाया। नवरात्रा होने की वजह से 750 से ज्यादा बंदियों ने व्रत रखा। इनमें 407 बंदियों ने पूरे नवरात्रा का व्रत रखते हुए मां अम्बे गौरी की स्थापना की। इसके साथ ही 350 बंदियों ने पहले और अंतिम नवरात्रा का व्रत रखा। बंदियों ने अपने वार्ड, बैरिकों में पूजा स्थान पर ही स्थापना कर पूजा-अर्चना की।

जयपुर सेन्ट्रल जेल के अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि नवरात्रा पर बंदी 9 दिन तक व्रत रखेंगे। जेल प्रशासन ने बंदियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए नवरात्रा में दूध और फलाहार का इंतजाम किया। बंदी व्रत के बाद दूध और फलाहार ले सकेंगे। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि पर्व पर बंदियों ने पहले दिन मां गौरी की आराधना की और अपने लिए भगवान से प्रार्थना की। इससे पहले रविवार सुबह बंदी अलसुबह ही बैरिक से उङ्ग गए। नहाने धोने के बाद पूर्जा अर्चना की और मां की स्थापना की।

बंदियों की सुविधा के लिए टीवी लगाया गया है। इसमें लखवीर सिंह लक्खा के मां के गाने लगाए गए। सुबह से जेल परिसर में नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। बंदियों ने जेल में नवरात्रा को लेकर होने वाली तैयारियों पर खुशी जाहिर की।

शराब माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा

एक महिला सहित चार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व (डीएसटी) ने मालवीय नगर, बजाज नगर और एसएमएस अस्पताल थाना इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ज्ञानचंद यादव ने बताया कि डीएसटी पूर्व ने मालवीय नगर,बजाज नगर और एसएमएस अस्पताल थाना इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुनीता सांसी निवासी मालवीय नगर, कन्हैया लाल उर्फ कान्हा निवासी बजाज नगर, चेतन सिंह निवासी निवासी टाटगंड जिला अजमेर हाल खानाबदोश एसएमएस और सुनील धोबी उर्फ भोला निवासी खानाबदोश एसएमएस अस्पताल जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से पुलिस ने छह पेटी देशी-अंग्रेजी शराब जब्त की गई है।

सार-समाचार

17-18 अक्टूबर को होगा 'इवेंटस्थान'

जयपुर, (कासं) । विशव भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन 'इवेंटस्थान' 17 व 18 अक्टूबर को जयपुर के मुहाना रोड स्थित होटल हयात रीजेंसी में आयोजित किया जा रहा है। फोरम प्रेसिडेंट महावीर शर्मा ने बताया कि आज इस कार्याक्रम के पोस्टर और टी-शर्ट का लांच भी फोरम के मेंबर द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि इस कन्वेंशन में पूरे देश भर के लगभग 300 इवेंट मैनेजर्स भाग लेंगे एवं इस इंडस्ट्री को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इस पर मंथन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में दोनों दिन देश के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे साथ ही विश्व के अनेक शहरों में भारतीय शादियों को आयोजित करने वाले प्रख्यात इवेंट प्रोफेशनल्स भाग लेंगे। इस अवसर पर रीजनल एसोसिएशंस का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें पूरे भारत की 29 इवेंट एसोसिएशंस भाग लेंगी। कार्यक्रम के अन्तिम दिन 35 कैटेगोरीस में बहु प्रतिष्ठित फोरम अवार्ड दिए जाएंगे जो कि इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली कंपनियों को दिए जाते हैं।

बहला-फुसलाकर विवाहिता से दुष्कर्म

जयपुर । मुरलीपुरा थाना इलाके में एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इलाके निवासी विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि परिचित नारायण शर्मा आए दिन घर आकर अश्लील हरकत करता था। एक दिन वह बहला फुसलाकर एक मकान में ले गया, जहां दुष्कर्म किया। वहीं, घटना के बारे में बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसी तरह मानसरोवर इलाके में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इलाके निवासी एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है कि 14 अक्टूबर की रात 15 वर्षीय बेटी घर से अचानक गायब हो गई। पत्नी से उसे घर में तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। पत्नी जब घर की छत पर पहुंची तो देखा पड़ौसी युवक आकाश उर्फ़ कान्हा बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वृद्धा के कानों के कुंडल उतरवाए

जयपुर । रामगंज थाना इलाके में ठग एक वृद्ध के कानों के कुंडल उतरवा ले गए। पुलिस ने बताया पुराना पागलखाना का रास्ता निवासी तारा गुलवानी ने मामला दर्ज करवाया है कि 14 अक्टूबर को मां घाटगेट पुलिस के पास स्थित शिव मंदिर गई थी, जहां उसे दो अज्ञात व्यक्ति मिले। आरोप है दोनों व्यक्ति मां को बातों में उलझा कर सोने के कुंडल उतरवा कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर चौमूं इलाके में बदमाश एक व्यक्ति के बैग में चीरा लगा कर रुपए पार कर ले गए। पुलिस ने बताया बंधू नगर, मुरलीपुरा निवासी देवकीनन्दन अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया है कि वह 13 अक्टूबर की दोपहर चौमूं स्थित एचडीएफसी बैंक गया था। यहां किसी अज्ञात शख्श ने बैग में चीरा लगा कर 50 हजार रुपए चुरा लिए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

चूड़ी कारखाने से पांच बालश्रमिक छुड़ाए

जयपुर (कासं)। भट्टाबस्ती थाना पुलिस ने एक चूड़ी कारखाने से 5 बालश्रमिकों को दस्तयाब कर संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित संजय कुमार (43) गांव मौरबीचक जिला गया बिहार का रहने वाला है, जिसने इलाके स्थित शिवजी नगर में मकान संख्या-241, में चूड़ी कारखाना संचालित कर रखा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चूड़ी कारखाने से 5 बालश्रमिक दस्तयाब कर मुक्त करवाए थे। मामले में आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है।

बैंक में 26 लाख रुपए का गबन

जयपुर । मानसरोवर थाना इलाके स्थित आईसीआईसीआई बैंक में करीब 26 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि जय नगर, केसर चौराहा निवासी चंद्रेश जैन शिप्रापथ स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि जुलाई 2323 से कैशियर के पद पर निशा कार्यरत है। 13 अक्टूबर की ऑडिट में बैंक में से 2641500 रुपए का गबन मिला, जोकि कैरियर निशा द्वारा 4 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

शिविर में कैंसर की नि:शुल्क जांच

जयपुर । एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय में भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के सहयोग से लोगों में कैंसर के प्रति तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महाविद्यालय की छात्राओं एवं उनके परिजनों, तथा स्टाफ सदस्यों की कैंसर की जांच की गई तथा विशेषज्ञों द्वारा उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। इस पर अवसर पर महाविद्यालय के संयोजक श्री विनय चंद जी डागा ने छात्रों तथा व्याख्याता को यह परामर्श दिया कि वर्ष में एक बार अपना रुटीन चेकअप जरूर करवाये। प्राचार्या डॉ रेनू जोशी एवं उपप्राचार्या डॉ इंदु शर्मा ने छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने तथा शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने की बात समझाई।

धूमधाम से मनाई अग्रसेन जयंती

जयपुर । पानीपेच स्थित नेहरू नगर के श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर में हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कॉलोनी के अग्र बन्धुओं द्वारा रविवार को पूजा अर्चना कर अग्रसेन जी की 5147 वी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी के लिए अग्रसेन जी महाराज से शुभकामनाओ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। अंत मे आरती के साथ सभी को प्रसाद वितरित किया गया। मनीष केडिया ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के मोहनलाल अग्रवाल, रामावतार अग्रवाल, ताराचंद गोयल, राजेन्द्र केड़िया समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

राज्य व जिलों में मीडिया सेल, एमसीएमसी और विज्ञापन अधिप्रमाणन समितियां गठित

जयपुर, (कासं) । प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2023 में इस बार निर्वाचन विभाग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज और मतदाताओं को लुभाने वाले संदेहास्पद विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए खास योजना बनाई है। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों और निर्वाचन विभाग के एक्शन प्लान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की पहल पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में मीडिया सेल, एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन कर दिया गया है एवं जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कर दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण और समावेशी मतदान कराना विभाग की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। कमेटी का काम चुनाव की अधिघोषणा के साथ ही शुरू हो गया है। कमेटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित समाचारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति को अब तक 35 विज्ञापन अधिप्रमाणन हेतु प्राप्त हुए जिनमें 28 को मंजूर कर दिया गया जबकि 7 को विज्ञापन समिति द्वारा निरस्त कर दिया है। राजनैतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन अथवा बल्क संदेश जिसे उम्मीदवार या राजनैतिक दल इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रसारित करवाना चाहते हैं, को सक्षम स्तर पर प्रमाणित करवाना अधिप्रमाणन कहलाता है।

नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में गोवा विजयी

जयपुर, (कासं)। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्वाधान में राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा रॉयल फुटबॉल क्लब मैदान पर जारी राष्ट्रीय गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। शाम को खेले गए फाइनल मुकाबले में गोवा ने आंध्रप्रदेश को 1 - 0 से हराया मैच का एक मात्र गोल गोवा की पर्ल ने किया जिसे प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया।

मैच पूर्व राजस्थान फुटबॉल संघ सचिव दिलीप सिंह शेखावत, रेफरी बोर्ड चैयरमेन महेंद्र सिंह बिजारनिया, कोटा अध्यक्ष कमल गोस्वामी, महिला चेयरमैन कीर्ति राठौड़, वाइस चेयरमैन सोनिया राठौड़ द्वारा मुख्य अतिथि अर्जुन अवॉर्डी मगन सिंह राजवी, समाजसेवी मेघराज सिंह शेखावत, कमिश्नर ऑफ पुलिस बीजू जॉर्ज, स्केवश खिलाड़ी सुरभी का सम्मान किया गया, मैच समाप्ति के बाद प्रतियोगिता की बेस्ट डिफेंडर दसू कंवर (राजस्थान), बेस्ट गोलकीपर रिया राजेश (गोवा), बेस्ट स्कोर पर्ल (गोवा), बेस्ट स्ट्राइकर आंचल (उत्तरप्रदेश), बेस्ट मीडफिल्डर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ चैंपियनशिप पर्ल (गोवा) को अतिथियों द्वारा मोमेंटो और नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही एसोसिएशन द्वारा सभी जिलों से पधारे पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, हाल ही में सैफ कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद कैफ पूर्व खिलाड़ी राधेश्याम, जसवंत और जब्बार अली को राजस्थान फुटबॉल में दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए शॉल एवं प्रतीक चिह्न से समानित किया गया। एआईएफएफ से आये मैच कमिश्नर लॉरेंस, रेफरी असेसर और सभी रेफरी को चुन्नरी और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया।अंत में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। आज के समापन समारोह में रॉयल फुटबॉल क्लब के दिलीप सिंह चुंडावत, जोधपुर सचिव दिनेश सिंह मौजूद थे।

सेंट्रल पार्क में हुआ 'डोगाथॉन'

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर के पहले "डोगाथॉन" ने शेयर द वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान कैनाइन अधिकारों और सद्भाव का जश्न मनाया। सेंट्रल पार्क में रविवार सुबह साढ़े 8 बजे यह कार्यक्रम हुआ। यहां कुत्तों के अधिकारों की वकालत करने और मनुष्यों और उनके प्यारे दोस्तों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में 10 कुत्ते और 50 दयालु व्यक्ति, कुत्तों को गोद लेने के बारे में जागरूकता बढ़ावा और समाज में उनके स्थान की वकालत करने के लिए एक साथ आए।

यह कार्यक्रम कई पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से काम करने वाली मरियम अबुहैदेरी ने आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि कुत्ते के शौकीनों और पालतू जानवरों के मालिकों और पशु अधिवक्ताओं को एकजुट करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था।

कार्यक्रम में 2 किमी. की मजेदार एक पंजा-सिटिव वॉक शामिल थी, जहां कुत्ते और उनके मानव साथी एक साथ भाग ले सकते थे, जो सभी के लिए सह-अस्तित्व और शारीरिक कल्याण पर जोर देते थे। इसके साथ ही पशु कार्यकर्ताओं और कुत्ते प्रेमियों ने कुत्ते को गोद लेने और जयपुर के लिए "एक घर, एक पालतू जानवर" के सपने पर व्यावहारिक बातचीत की। सूचना बूथ पर उपस्थित लोगों ने पालतू स्वामित्व, पशु कल्याण और कुत्ते के अधिकारों पर बहुमूल्य जानकारी दी।

सामाजिक उद्यमी, सुधीर माथुर ने अपनी वफादार साथी लैला के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और आधिकारिक तौर पर डोगाथॉन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि "यह आयोजन जयपुर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक शानदार योगदान है। हमें कुत्तों की वकालत करने के लिए और अधिक आवाजों की जरूरत है। वे अद्भुत साथी बनते हैं और उन्हें समाज द्वारा पूरी तरह से अपनाना चाहिए।"

सेंट्रल पार्क में रविवार सुबह आयोजित 'डोगाथॉन' में पशुप्रेमियों ने पालतू श्वान पालने की अपील की।

मरियम अबुहैदेरी ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, "हम जयपुर में उद्घाटन डोगाथॉन की शुरुआत करते हुए रोमांचित हैं, एक ऐसा आयोजन जो कुत्तों के प्रति शहर के प्यार और उनकी भलाई के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सभा ने कुत्ते प्रेमियों को एक छत के नीचे एकजुट किया। यह कार्यक्रम कुत्ते प्रेमियों को एक साथ लाने का एक प्रयास था। डोगाथॉन में भारतीय नस्लों के लिए प्रवेश नि:शुल्क था, जबकि अन्य नस्लों के लिए 500 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ स्वागत किया गया। आयोजन से प्राप्त आय ने गो निर्वाण के मिशन निर्वाण का समर्थन किया, जो दिवंगत जानवरों के लिए सम्मानजनक अंत्येष्टि प्रदान करने के लिए समर्पित है।

नवचंडी महायज्ञ असाधारण और अतुलनीय : आचार्य लवभूषण

जयपुर । मालवीय नगर के सेक्टर-12 स्थित श्री मालेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को श्री नवदुर्गा सप्तशती नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य डॉ. लवभूषण के सानिध्य में आयोजित इस महायज्ञ की शुरूआत पूरे विधि-विधान के साथ हुई। करीब दो घंटे से भी अधिक समय तक नवचंडी 11 पंडितों ने सामूहिक रूप से नवचंडी पाठ किया। दोपहर करीब अढाई बजे 9 हवन यज्ञ कुंडों में हवन किया गया। मुख्य हवन कुंड में आचार्य डॉ. लवभूषण ने सपत्नीक यज्ञ की पूर्णाहुति की। इसके अलावा दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां दी। शाम पांच बजे के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत सामूहिक आरती हुई। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस श्रीनवदुर्गा सप्तशती नवचंडी महायज्ञ की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य डॉ. लवभूषण ने कहा कि नवचंडी यज्ञ आपको देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करता है। यदि आपका भाग्य आपके पक्ष में नहीं हैं, तो उन्हें अपने पक्ष में करने हेतु सहायक है। एक बार नवचंडी यज्ञ को पूर्ण विधि सहित करने से यह यज्ञ सबसे अधिक ऊजार्वान और सकारात्मक माहौल बना देता है। नवचंडी यज्ञ हवन एक असाधारण, अतुलनीय और बड़ा यज्ञ है जो देवी माँ की शक्तियों को आपसे जोड़ती है।

मालवीय नगर सेक्टर-12 स्थित श्री मालेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को श्री नवदुर्गा सप्तशती नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोहा मंडी स्कीम का विवाद नहीं सुलझाना चाहता जे.डी.ए. प्रशासन?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अफसरों को लोहामंडी माचेड़ा की विवादित जमीन में अचानक 'गोल्ड' नजर आने लगा है। करीब 20 साल के संघर्ष के बाद पुराने आवंटियों से लेकर काश्तकारों के मामलों का सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में समाधान करने के निर्देश दे दिए। लेकिन जेडीए ने पीड़ितों को ही "सोने के अंडे देने वाली मुर्गी" समझ लिया।

पुराने आवंटियों को करीब ढाई गुना ज्यादा नए रिजर्व प्राइस की 25 प्रतिशत रकम जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए। जेडीए के इस फैसले से पुराने आवंटी घबराए हुए हैं। एंपावर्ड कमेटी का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में जेडीए द्वारा पेश शपथ पत्र में पुराने रिजर्व प्राइस का जिक्र है, तो फिर जेडीए ने इसमें अचानक नए रिजर्व प्राइस कैसे एप्लाई कर दिए? जोकि सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नजर आती है। ऐसे में सैकड़ों प्लॉट आवंटी, काश्तकार और अन्य लोग परेशान होकर भटक रहे हैं, उनकी समस्या है कि नए रिजर्व प्राइस के हिसाब से लाखों-करोड़ों रुपए कहां से लाए।

सूत्रों की मानें तो जयपुर के माचेड़ा की लोहामंडी योजना के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2023 को जेडीए को डायरेक्शन दिए हैं कि आवंटियों के मामलों का 3 माह में उचित निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करें। विवाद सुप्रीम कोर्ट में था, यहां की रिजर्व प्राइस पहले 11 हजार रुपए थी। इसी बीच अप्रत्याशित तरीके से बढ़ोतरी करते हुए रिजर्व प्राइस 25 हजार 200 रुपए कर दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए तो जेडीए ने नए रिजर्व प्राइस के आधार पर डिमांड नोटिस देना शुरु कर दिया। करीब 20 साल से जमीन की जंग लड़ रहे सैकड़ों आवंटियों और काश्तकारों को लगा कि हम जीत गए, लेकिन जेडीए ने यहां नए रिज़र्व प्राइज का नया पेंच फंसा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेडीए जान-बूझकर इस मामले में पेंच फंसाने के लिए नए रिजर्व प्राइस लागू कर रहा है, जबकि एंपावर्ड कमेटी ने पुराने रिजर्व प्राइस पर ही अपना मत दिया था। जेडीए नभी सुप्रीम कोर्ट में एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को मानने का शपथ पत्र दे चुका। अब जेडीए अफसर अपने ही शपथ-पत्र से मुकर रहे हैं, और अवंटियों को परेशान कर रहे हैं।

ज्ञात रहे कि जेडीए ने हरमाड़ा के पास ग्राम माचेड़ा में जेडीए ने वर्ष 2000 में लोहा व्यापारियों व अन्य के लिए स्पेशलाइज जोन तैयार करने की स्कीम लॉन्च की थी। इसमें करीब सवा सौ बीघा सरकारी जमीन पर तो लोहा मंडी बनाकर लोगों को जगह अलॉट कर दी। लेकिन इस योजना को वृह्द बनाने के लिए आसपास की करीब साढ़े तीन सौ बीघा जमीन और एक्वायर कर लिया गया था। इस जमीन पर या तो खेती होती थी, या फिर सोसायटीज ने कॉलोनी काट दी थी। विकास समितियां बन चुकी थी। काश्तकार और सोसायटियों की विकसित की गई, विकास योजनाओं के प्लॉट जहां थे, वह जमीनें भी अवाप्त हो गई। जेडीए ने एक्वायर कर लिया, लेकिन उससे पहले 90बी में लैंड यूज चेंज हो चुका था, ऐसे में आवंटी कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट तक लडाई लडी। तब जाकर अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए को 3 माह में विवादों का निपटारा करने के निर्देश दे दिए। अब पुराने आवंटियों या उनसे प्लॉट खरीदने वालों को जेडीए को इसी स्कीम में कहीं भी विकसित जमीन देनी हैं। इसके बदले जेडीए डवलपमेंट चार्ज के रुप में अब नए रिजर्व प्राइस की 25 प्रतिशत रकम लेने की फिराक में है। अचानक लोहा मंडी को 'सोना' मंडी बनाते हुए इस जमीन के बदले रिजर्व प्राइज का 25 प्रतिशत वसूलने के चक्कर में है। काश्तकारों को भी अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देनी थी, उनसे भी मोटी लीज मनी वसूल की जाएगी।

- **आवंटियों का कहना है कि एंपावर्ड कमेटी का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में जेडीए द्वारा पेश शपथ पत्र में पुराने रिजर्व प्राइस का जिक्र है, लेकिन पुराने आवंटियों को करीब ढाई गुना ज्यादा नए रिजर्व प्राइस की 25 प्रतिशत रकम जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए।**
- **बताया जा रहा है कि लोहा मंडी प्रकरण को लेकर 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए को तीन माह में उचित समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन अब अफसरों ने नई रिजर्व प्राइस का अडंगा लगा दिया**